न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 14/2017 रे.वाद
अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.ए.

उनवान प्रकरण

1. ईस्माईल पिता साबुदीन मुसलमान
2. फकीर मोहम्मद पिता कासम छीपा मुसलमान सर्व निवासी कोशीथल तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––वादीगण

बनाम

1. सलीम मोहम्मद पिता फतेह मोहम्मद मुसलमान छीपा निवासी कोशीथल तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाड़ा मु. गंगापुर जिला भीलवाड़ा ।

––प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक 08.08.2017**

वादीगण द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम अरनोटा पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 236 रकबा 0.39 है0, कुल किता 1 रकबा 0.39 है0 दर्ज रेकार्ड है । जिसमें वादी संख्या 01 का 1/3 व वादी संख्या 02 का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा निहित है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से भूमि को उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अडचन आती है। उक्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादी का अपने हिस्से एवं कब्जे अनुसार हिस्सा विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खातें कायम करवाया जाए । प्रकरण विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया । वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादी उपस्थित होकर आपसी सहमति के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी का खाता कब्जे व हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

प्रकरण का विधिवत विचारण किया जाकर वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया और तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश प्रदान किया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण व प्रतिवादी को सुना गया विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार ने आपत्ति नहीं कि लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है।

1. ईस्माईल पिता साबुदीन छीपा सा0 कोशीथल खातेदार

आ0नं0	रकबा
236	0.39
कुल किता 01	**कुल रकबा 0.39 हे0**

नोटः— ग्राम अरनोटा में स्थित भूमि पर वादी ईस्माईल पिता साबुदीन का ही कब्जा है फकीर मोहम्मद एवं सलीम मोहम्मद के हिस्से की भूमि ग्राम कोशीथल के खाता संख्या 44 एवं 45 में दी गई है ।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक्—पृथक् खाते कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करे। अंतिम डिकी जारी हो आदेश आज दिनांक 08.08.2017 को सरे ईजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जि.भीलवाड़ा (राज.)